"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 518] रायपुर,शनिवार, दिनांक 25 नवम्बर 2017—— अग्रहायण 4, शक 1939

राजभवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-3/2017/रास/यू-14. —— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 17 की उपधारा (2) में निहित प्रावधानानुसार आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, दुर्ग में कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम पांच ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों का पेनल प्रस्तुत करने हेतु माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार खोजबीन-समिति का गठन किया गया है :-

1. डॉ. पी.सी. चौबे, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन - उच्च शिक्षा विभाग से राज्य शासन द्वारा नामांकित एक ख्यातिप्राप्त व्यक्ति,
2. प्रो. (डॉ.) वाय.आर. हरगोपाल रेड्डी, पूर्व-कुलपति, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर (आंध्र प्रदेश) - प्रायोजक निकाय (आई.सी.एफ.ए. आई, विश्वविद्यालय) द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद
3. प्रो. (डॉ.) व्ही.एन. राजशेखरन पिल्लई, अध्यक्ष, मेवाड़ विश्वविद्यालय, चितौड़गढ़ (राजस्थान) - प्रायोजक निकाय (आई.सी.एफ.ए. आई, विश्वविद्यालय) द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद

2. माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा डॉ. पी.सी. चौबे को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. उपर्युक्त समिति यह अधिसूचना प्रसारित होने से आठ सप्ताह की समयावधि में न्यूनतम पांच ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों का पेनल माननीय कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-

(जनमेजय महोबे)
राज्यपाल के उप सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.